

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशायत्स जज

शुभमल V/S हरलाल

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

16/11/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 25/11/24 को पेश हो।

*[Signature]*

*Noted.*  
*21/11/24*

25/10/24

पत्रावली केस हुई कारी आरि 0350  
प्रतिवाकी आरि 0350 पुराना शासिक  
आदेश में दिनांक 14/11/24 को पेश हो

*[Signature]*

14/11/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 26/11/24 को पेश हो।

*[Signature]*  
आदेश से रीट

26/11/24

पत्रावली केस हुई उभयपक्ष आरि 0350  
पत्रावली में शर्की ने शर्करा फा 9 हनुम ख  
किर्दर डिपार्ट्या फरिषदी स. 1 की मुख्य  
दिनांक 26/11/2023 को होने वाला है शर्करा फा  
शर्करा फरिषदी डिपार्ट्या पत्रावली वास्ते आपपक्ष  
कार्यवाही हेतु दिनांक 21/11/24 को पेश हो

*[Signature]*

21/11/24

पत्रावली पेश हुई उभयपक्षकारान आरि.  
उप.) कारी आरि. गण शरकरा रिकॉर्ड की  
अकरान प्रति पेश की। शरकरा रिकॉर्ड के  
अनुसार शरिवादी सं. 1 की मुख्य होने से  
समा. न. (ग) सं. 10432 नि. फि. 13/11/24 से

— लगातार —

*[Signature]*  
21/11/24  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

RTA 88, 89, 92-A एवं 188


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

12/24

बिरासत का नामा-रण स्वीकृत होकर बादी के पक्ष में बिरासत ही हो चुकी है। जाहीबादी आदि. गाए बिबेदर बिज गला कि बादी द्वारा जाहीबादी सं. 1 के बिकरु मूलतया अनुलोक चारा गला का शेष जाहीबादी जाहीबादी सं. 1 के बिकरु वारिम होने से पसकार काजम बिदे गले के बादी द्वारा जसुर रावस रिजॉरि में जाहीबादी सं. 1 के अतिरिक्त शेष जाहीबादी वाए जसुरीबाणा की रिजॉरि के समिखरि रही है। अतः यह लपरट होना है कि बादी द्वारा वादपत्र में चारा गला अनुलोक कि वादपत्र मुक्ति में उतरे फिला जाहीबादी सं. 1 के रिजॉरि में से 6<sup>th</sup> सीमा उतरे मिले। बादी द्वारा जसुर रावस रिजॉरि के मुसुला बादी का नाम जाहीबादी सं. 1 के रिजॉरि में से 6<sup>th</sup> रिजॉरि के बिकरु ही बिल का चुका है। इस प्रकार बादी द्वारा चारा गला अनुलोक जाए हो चुका है।

बादी अधिकरण गाए बिबेदरबिल वाक कि बादी द्वारा अज जाहीबादी के बिकरु 188 राजमान गबरवादी अधिकरिम का अनुलोक भी चारा गला है। अतः शेष जाहीबादी को बादी के एक-रिजॉरि में अवागत-अवागत बादी कोते हुए पंखद फिला वाक प्वावली का नि-नाण का रिजॉरि जावे। जाहीबादी आदि- द्वारा बादी के उमर अनुलोक ज आवादी बादी कोते उंच बिबेदर फिला कि बादी एवं जाहीबादी सं. 2 का 5 उरपेठ बंच के साजावता है। तका सहजावता के बिकरु बिना बिकरण काजे बादी स्वार्ड

—लगाता—

  
 12/24  
 सिविक कलक्टर  
 भीलवाड़ा

41/2224

पुणे महानगरपालिका वडा नं. १८  
उपवाहन

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

88, 89, 92A, 188 RTA

निषेधाज्ञा का अनुसूचक जाण करे क अधिकारी  
नी ही अतः वाहन को खारिज किने  
जाणे का निवेदन किया गया।

उपरोक्तकारण अधिकार की  
व्यतिरिक्त का मय एवं चिंतन किना डाय शराब  
रिपोर्ट, प्रवाहनी का अवलोकन किया गया।  
सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया।  
कारण के मय, चिंतन एवं प्रवाहनी के अवलोकन  
तथा विधि के अनुशीलन उपरान्त उपरोक्त  
हम को उचित समझते हैं कि वादी द्वारा  
धारा 88, 89, 92A व 188  
की मूल्तु दोषों से ~~उक्त~~ शराब किरी में  
नाशकालीन खुराके पर जाण हो चुका है अतः  
वादी द्वारा धारा 88, 89, 92A व 188  
वादी से वादी द्वारा उक्त किना मय  
वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 92A व 188  
व्यवधान कार्रवाई अधिकारियों को जारी  
किया जाण है।

निवेदि लोखनाज पुनाज  
वादी रिजे जर्ज वादी है। प्रवाहनी  
महाशुभार होत्र दाखिल फता हो  
तदा नम्बर में कम है।

  
41/2224  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)


## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. पुरणमल पुत्र हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी पी 82  
आजाद नगर, भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र नानूराम बैरवा उम्र वयस्क निवासी बैरवा मोहल्ला, चुंगी नाके के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (मृतक) 
2. गोपाल पुत्र हरलाल हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी बैरवा मोहल्ला, चुंगी नाके के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बालकिशन पुत्र हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी बैरवा मोहल्ला, चुंगी नाके के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. रमेश पुत्र हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी बैरवा मोहल्ला, चुंगी नाके के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. कंकु पुत्री हरलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी बैरवा मोहल्ला, चुंगी नाके के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम

प्रकरण संख्या 41/2020 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अमित कोठारी उपस्थित । प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 5 के अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित— इस वाद में आज तारीख 05.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा